प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.10.2020

अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से लाखों रुपये निकालने वाला शातिर सीएसपी संचालक गिरफ्तार, कब्जे से फ्राड के पैसे से खरीदी गयी हुंडई कार सहित लगभग 11 लाख रुपये कीमती विभिन्न सामान बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में साइबर सेल व थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 08.10.2020 को, थाना घोसी जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 824/20 धारा 419/420/467 /468/120बी/406 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बुद्धीराम यादव पुत्र पतिराम यादव निवासी मिश्रौली(रामनिधी) थाना घोसी जनपद मऊ को एक अदद लैपटाप, चार थम्ब स्कैनर मशीन, एक रजिस्टर, एक प्रिन्टर, 42 नया पासबुक, 7 पुराना पासबुक, 50 नये एटीएम मय बन्द लिफाफा, एक स्वैप मशीन, चार आधार कार्ड, एक मोबाईल, पाँच मुहर, एक अदद हुण्डई आई 20 कार यूपी 54 एएच 5627 के साथ मझवारा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि खाता धारक प्रवीण के अंगूठे के निशान का क्लोन बनाकर उनके खाते से बीस–बीस हजार रुपये कई बार मे निकाल लिये मै लगभग 15 लाख रुपया उसके खाते से निकाला हूं मुझे यह पता था कि यहा की सिम सऊदी अरब मे नही चलेगी जिससे प्रवीण यादव को मेरे द्वारा रुपया निकाले जाने की सूचना नही मिल पायेगी प्रवीण यादव के रुपये से हमने एक बुलेट मोटर साइकिल और हुण्डई आई 20 कार यूपी 54 एएच 5627 खरीदा और काफी रुपया अपने शान शौकत पर खर्च किया है।

उल्लेखनीय है कि वादी प्रवीण कुमार यादव पुत्र राम अवध यादव सा. मिश्रौली(रामनिधी) थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा प्रार्थी के खाते से प्रार्थी के विदेश रहने के दौरान अपने खाते में भेजे गये 14 लाख 83 हजार 889 रुपये को फर्जी तरीके सीएसपी संचालक व एसबीआई ब्रान्च मैनेजर नदवल खास के मिली भगत से निकालने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 824/20 धारा 419/420/467/468/120बी/406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साइबर सेल को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात साइबर सेल द्वारा बैंक से जानकारी संग्रहित किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक के खाते से 20–20 हजार रुपये कर ई–पेमेंट के माध्यम से आधार से अंगूठा लगाकर किया गया है। बैंक से मिली जानकारी के आधार पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त आवेदक के 14 लाख 83 हजार 889 रुपये के अतिरिक्त 08 लाख चेक से फ्राड व अन्य लोगों के खाते से लगभग 06 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी के तथ्य प्रकाश में आये हैं, इस प्रकार कुल लगभग 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी पायी गयी है तथा यह धनराशि बढ़ सकती है, विवेचना जारी है।

अब तक अभियुक्त के विभिन्न बैंक के खातों की जांच कर उसको फ्रीज करने की कार्यवाही की जा रही है तथा एटीएम जो बैंक द्वारा कस्टमर के पते पर भेजा जाता है वह कैसे सीएसपी संचालक तक पहुंचा, की जांच की जा रही है। यदि बैंक का कोई कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1– बुद्धीराम यादव पुत्र पतिराम यादव सा. मिश्रौली(रामनिधी) थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण

1. हुण्डई आई 20 कार यूपी 54 एएच 5627।
2. एक अदद लैपटाप।
3. चार थम्ब स्कैनर मशीन।
4. एक प्रिन्टर।
5. 50 नये एटीएम मय बन्द लिफाफा।
6. 42 नया पासबुक, 7 पुराना पासबुक,, एक स्वैप मशीन, चार आधार कार्ड, एक मोबाईल, पाँच मुहर, एक रजिस्टर।

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक श्री समर बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी, उ.नि.रुद्रभान पाण्डेय, म.का.जूही शुक्ला, म0 का0 प्रियंका मिश्रा, का. अवधेश यादव, का. देवेन्द्र तिवारी, का. बबलू पासवान थाना घोसी।

निरीक्षक श्री राजेश प्रसाद यादव प्रभारी स्वाट टीम, का0 सर्वेश यादव, नीरज यादव, अमरन नाथ यादव, का. अखिलेश कुमार व का. लायक हुसैन स्वाट टीम मऊ।

निरीक्षक श्री डी0के0 चौधरी प्रभारी साइबर सेल, का. अंकुर यादव, म0आ0 सरोज यादव साइबर सेल जनपद मऊ।

SOCIAL MEDIA CELL MAU

दिनांक 18.08.2020 को थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तर्गत गोली मारकर हुयी लूट का हुआ खुलासा, 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस, घटना में संलिप्त मो0सा0 एवं लूट के 1600 रुपये बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 08.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बबुआपुर तिराहे के पास से तीन शातिर लुटेरों कमशः अमन सिंह पुत्र राम सिंह निवासी महमुदवा थाना चिरैयाकोट, भोला सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ व सर्वेश यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी पिपरीडीह मड़ैया थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से तमंचा व कारतूस, घटना में संलिप्त मो0सा0 एवं लूट के 1600 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया, इस दौरान एक अभियुक्त भागने में सफल रहा।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.08.20 को दुल्लहपुर से आ रहे मनोज विश्वास पुत्र जयदेव विश्वास निवासी शाही कटरा थाना कोतवाली मऊ जो बढुआगोदमा रोड कटरा मोड़ के पास पहुंचे थे कि मो0साइकिल सवार तीन बदमाश उनकी स्कूटी ओवरटेक करके रोककर तमंचा से फायर करते हुये उनका झोला छीन लिये तथा उन्ही के पीछे आ रहे गोपाल शरन सिंह पुत्र स्व0 सत्यनरायण सिंह निवासी सरायलखंसी का भी छोला छीन लिये थे जिसमें कुल 5500 रुपये की लूट किये थे, जिसके सम्बन में थाना सरायलखंसी पर मु0अ0सं0 665/20 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण—

1. अमन सिंह पुत्र राम सिंह निवासी महमुदवा थाना चिरैयाकोट।
2. भोला सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
3. सर्वेश यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी पिपरीडीह मड़ैया थाना सरायलखंसी मऊ।

बरामदगी—

1. एक अदद तमंचा व 02 जिंदा कारतूस।
2. घटना में संलिप्त मो0सा0।
3. लूट के 1600 रुपये।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 15 हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 08.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा 15 हजार रूपये का इनामिया मु0अ0सं0 412/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रामलखन राजभर पुत्र हमीचन्द्र राजभर निवासी करौदी नारायणपुर थाना घोसी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधी अवैध शराब के तस्करी में सलिंप्त है।

एक शातिर गिरफ्तार, कब्जे से एक नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद—

दिनांक 07.10.2020 को थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा बंधा रोड खेदुपुरा के पास से फकरे आलम पुत्र सुल्तान अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 312 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक किलों 800 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक गिरफ्तार—

आज दिनांक 08.10.2020 को थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन मुहम्मदाबाद के पास से आमीर पुत्र मो0 अनीश निवासी जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से एक किलों 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 715/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 08.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 3/20 धारा 34,308,323,504 भादवि0 में वांछित अभियुक्त पलटु उर्फ विकाश पुत्र रमाशंकर निवासी मुस्तफाबादा थाना रामपुर मऊ, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 708/20 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त जियाउद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

SOCIAL MEDIA CELL MAU